

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-पी0पी0एम0 62/2012-

/कृ, पटना, दिनांक

प्रेषक,

प्रभु राम (वि.प्र.से.)
निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

(+)अनौपचारिक द्वारा:
रूप से परामर्शित।

विषय : वर्ष 2013-14 में भूमि संरक्षण के लिए संपादित किए गये पौधा-रोपन कार्यक्रम तथा जी.आई.एस. प्रयोगशाला की स्थापना कार्यक्रम का कार्योत्तर स्वीकृति एवं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत 141.76 लाख रुपये (एक करोड़ एकतालीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य वर्ग के लिए 117.661 लाख रुपया (एक करोड़ सतरह लाख छियासठ हजार एक सौ) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि वर्ष 2013-14 में भूमि संरक्षण के लिए संपादित किए गये पौधा-रोपन कार्यक्रम तथा जी.आई.एस. प्रयोगशाला की स्थापना कार्यक्रम का कार्योत्तर स्वीकृति एवं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत 141.76 लाख रुपये (एक करोड़ एकतालीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य वर्ग के लिए 117.661 लाख रुपया (एक करोड़ सतरह लाख छियासठ हजार एक सौ) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. वर्ष 2013-14 में भूमि संरक्षण की राज्य योजना के अधीन भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम की योजना स्वीकृति के प्रक्रियाधीन थी जिसमें शुष्क वागवानी एवं कृषि वानिकी का कार्य प्रस्तावित था। डुप्लीकेशन की आशंका के बीच यह योजना अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो सका। सामयिक कार्य होने के कारण बरसात के मौसम में पौधा रोपन का कार्य योजना स्वीकृति की प्रत्याशा में कराया गया जिसमें 126.25 हे० में शुष्क वागवानी एवं 26.10 हे० में कृषि वानिकी का कार्य किया गया। किये गये पौधा रोपन कार्य का 10% भौतिक सत्यापन कराया गया जो सही पाया गया। भूमि संरक्षण कार्यों में डुप्लीकेशी न हो इसके लिए कार्य से पहले एवं कार्य के बाद का जी०पी०एस० (आक्षांश-देशान्तर) सहित फोटोग्राफी एवं किये गये कार्यों की संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई। साथ ही साथ निदेशालय स्तर पर कार्यों के सघन पर्यवेक्षण हेतु जी०आई०एस० लैब की स्थापना की गई है। योजना हेतु कुल स्वीकृत राशि में से वित्तीय वर्ष 2013-14 में पौधा रोपन एवं जी०आई०एस० लैब की स्थापना पर किया गया व्यय क्रमशः 111.008 एवं 8.07 लाख रु० का भुगतान किया जायेगा।

3. योजना कार्यान्वयन हेतु वित्तीय प्रवाह बिहार जलछाजन विकास सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा। भूमि संरक्षण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार से राशि की निकासी कर बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसायटी को पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर निधि का हस्तांतरण किया जायेगा। सोसायटी द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार के परामर्श से संबंधित जिलों के कार्यान्वयन एजेंसी (सहायक निदेशक (शष्प) भूमि संरक्षण) को राशि उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी सूचना सम्बंधित जिलों के उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को दी जायेगी।

4. योजनान्तर्गत जिलावार कराये गये पौधारोपण एवं जी0आई0एस0 प्रयोगशाला की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	जिला/कार्यालय	निकासी एवं व्यय हेतु स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	2	6
I	बांका	31.25000
	मुर्गेर	6.07500
	जमुई	7.31000
	गया	30.12500
	नवादा	36.24800
	योग :-	111.008000
II	BWDS को जी0आई0एस0 प्रयोगशाला हेतु	8.07000
	कुल स्वीकृत राशि :-	119.07800

5. इस योजना के सर्वोपरी नियंत्रण पदाधिकारी अपर निदेशक (शष्प) भूमि संरक्षण/निदेशक भूमि संरक्षण बिहार, पटना होंगे।

6. स्वीकृत राशि 117.661 लाख रूपया का व्यय मुख्य शीर्ष 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मॉग संख्या- 1, उपशीर्ष- 0112 भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड- पी2402001020112, राज्य योजना स्कीम कोड ए0जी0आर0:5038, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, वर्ष 2014-15 में उपबंधित 2397.20 लाख रु0 से विकलनीय होगा।

7. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या -96 वि0 (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या पी0पी0एम0 62/2012 के पृ0सं0 165/टि0 पर दिनांक 20.01.2015 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी0पी0एम0-62/2012 के पृ0 167/टि0 पर दिनांक 03.02.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(प्रभु राम)

निदेशक (प्रशासन) -सह- अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

/भू०सं०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (प्रशासन)

-सह- अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - ६

/भू०सं०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (प्रशासन)

-सह- अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

/भू०सं०, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री कृषि बिहार के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (प्रशासन)

-सह- अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

832

/भू०सं०, पटना, दिनांक 10-02-2015

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी सम्बंधित संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/उप निदेशक (शष्य) योजना भूमि संरक्षण बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी जिला स्तरीय सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/बजट एवं योजना शाखा, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप/कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)

-सह- अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।